

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(252) ग्रावि/गुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22

जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2022

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय:- विभागीय निर्माण कार्यों के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ-27(79)ग्रावि/अनु.5/जीकेएन/प्रशा.अनु.सं./2014 दिनांक 17.09.2014, स्थाई आदेश संख्या 25/2015 दिनांक 10.03.2016 एवं स्थाई आदेश संख्या 37/2021 दिनांक 1.10.21।

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 27 (79) ग्रावि/अनु-5/जीकेएन/प्रशा.अनु.सं./ 2014 दिनांक 17.9.14 के क्रम में जारी स्थाई आदेश संख्या 22/2015 दिनांक 27.11.15 के द्वारा शिड्यूल ऑफ पावर्स तालिका-1 में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायतों का प्रदत्त शक्तियों में विभागीय स्थाई आदेश संख्या 25/2015 दिनांक 10.03.2016 द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु प्रदत्त शक्तियों में वर्णित शर्त/टिप्पणियों के अतिरिक्त निम्न शर्त/टिप्पणी जोड़ी गई :-

शर्त/टिप्पणियां क्रम संख्या 13.

सड़क निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि से संबंधित काश्तकारों से सहमति, नियमानुसार शपथ पत्र लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।

उक्त शर्त/टिप्पणी संख्या 13 विभाग की समस्त विभागीय योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर भी प्रभावी होगी।

इसमें काश्तकारों से सहमति में सरलता हेतु विभाग द्वारा पृथक् से प्रपत्र भी जारी किया जा सकेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।



(अपर्णा अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

एफ 27(252) ग्रावि/गुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22

जयपुर, दिनांक 22 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त विभाग, ग्रावि एवं पंरावि, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी)।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जयपुर।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अभियंतागण, ग्रा.वि.एवं पं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभि./जल संसाधन, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।


(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग